आवश्यक
पंचायत आम चुनाव, 2021

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार
STATE ELECTION COMMISSION, BIHAR

सत्यमेव जयते

पत्रांक - पं.नि.30-92/2016 - 3535

प्रेषक,

सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)

पटना, दिनांक 6.9.21

विषय : बिहार पंचायत आम निर्वाचन, 2021 में प्रेक्षकों को यात्रा भत्ता अग्रिम स्वीकृत करने के संबंध में।
प्रसंग : पंचायती राज विभाग, बिहार का पत्रांक 1535 दिनांक 08.03.2021

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक पंचायती राज विभाग के प्रासंगिक पत्रांक 1535 दिनांक 08.03.2021 के आलोक में पंचायत आम निर्वाचन, 2021 हेतु नियुक्त प्रेक्षकों को यात्रा भत्ता अग्रिम का भुगतान निम्न प्रकार से किया जायेगा :-

(1) अपने वर्त्तमान पदस्थापन के प्रमण्डल के भीतर प्रेक्षक के रूप में नियुक्त किये जाने पर उक्त पदाधिकारी को एक चरण के लिए 5500.00 रूपये (पाँच हजार पाँच सौ रूपये) एवं प्रत्येक अतिरिक्त चरण के लिए 850.00 रूपये (आठ सौ पचास रूपये) यात्रा भत्ता अग्रिम तथा प्रमण्डल से बाहर प्रेक्षक के रूप में नियुक्त किये जाने पर एक चरण के लिए 7000.00 रूपये (सात हजार रूपये) एवं प्रत्येक अतिरिक्त चरण के लिए 850.00 रूपये (रूपये आठ सौ पचास) अग्रिम स्वीकृत किया जायेगा।

(2) प्रेक्षकों को यात्रा भत्ता अग्रिम जिस जिले (प्रमण्डलीय मुख्यालय सहित) में वे पदस्थापित हैं, उस जिले के जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)-सह- जिला पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जायेगा।

(3) अगर कोई प्रेक्षक राज्य सचिवालय अथवा पटना स्थित उसके संलग्न कार्यालयों अथवा सरकारी उपक्रमों में पदस्थापित हों तो उनका अग्रिम जिला पदाधिकारी, पटना द्वारा स्वीकृत किया जायेगा।

(4) उक्त अग्रिम का भुगतान स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद के ``मुख्य शीर्ष-2015-निर्वाचन उप मुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-109- पंचायतों/ स्थानीय निकायों का चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार-उप शीर्ष-0002-जिला परिषदों/ पंचायत समितियों/ ग्राम पंचायतों का चुनाव'' के अन्तर्गत विषय शीर्ष - 0002.11.01-यात्रा व्यय इकाई'' मद में दिये गये आवंटन से किया जायेगा।

Sone Bhawan, Third Floor, Birchand Patel Marg, Patna - 800 001 Phone : 2506826, 2506917, 2506844, 2506994 Fax : 0612 - 2507847 E-mail : secbihar@gmailcom

3. अनुरोध है कि तदनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए। अग्रिम भुगतान के साथ चुनाव कार्य हेतु प्रतिनियुक्त प्रेक्षकों को यह स्पष्ट रूप से अवगत करा दिया जाये कि भुगतान की गई राशि अग्रिम है, अतः वे इसके समायोजन के लिए शीघ्रातिशीघ्र यात्रा भत्ता विपत्र प्रस्तुत कर देंगे।

विश्वासभाजन,

सचिव।

ज्ञापांक -पं0नि0 30-92/2021 - 3535 पटना, दिनांक - 6.9.21

प्रतिलिपि, आई.टी.मैनेजर को आयोग के वेबसाईट पर पत्र अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।

सचिव।

ज्ञापांक -पं0नि0 30-92/2021 - 3535 पटना, दिनांक - 6.9.21

प्रतिलिपि, अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव।